**निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर**

**प्रकरण संख्या 74/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)**

सीताराम पुत्र रामचन्द्र सैनी जाति माली निवासी ग्राम जयपुरियों का बास, तहसील व जिला जयपुर ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1 श्री राजेश जाखड आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम।

2 रिसासत इन्फ्रा डवलपर्स प्रा. लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता दिनेश सैनी पुत्र श्री सत्यनारायण पता 709, ओ के प्लस सैक्टर–7, मानसरोवर, जयपुर ।

3 न्यू पथ डवलपर्स एल एल पी जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता अवशेष शर्मा पता 508, ओके प्लस टावर, नियर के वी–5 मानसरोवर जयपुर ।

**मुख्य अप्रार्थी**

4 आनन्दा पुत्र गीधा

5 काना पुत्र गीधा

6 सुवा पुत्र गीधा

7 हरि पुत्र गीधाा

समस्त जाति अहीर, निवासी जयपुरियो का बास, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।

8 श्रीमती सरोज केडिया पत्नी शिव कुमार केडिया निवासी केडिया हाउस, नाडी का फाटक, बेनाड रोड, जयपुर ।

9 कैलाश पुत्र छोटू

10 हनुमान पुत्र छोटू

समस्त जाति माली, निवासी जयपुरियो का बास, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।

11 गणेश नारायण पुत्र चौथू

12 रमेश पुत्र चौथू

13 श्री नारायण पुत्र चौथू

समस्त जाति अहीर, निवासी जयपुरियो का बास, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।

14 कल्याण पुत्र गुल्ला

15 कालूराम पुत्र रामचन्द्र

16 गोपाल पुत्र मंगला

17 लल्लूराम पुत्र श्रवण

18 लालचन्द पुत्र गुल्ला

19 सूण्डाराम पुत्र श्रवण

20 सुनिल पुत्र मूलचन्द

21 सुरेश पुत्र मूलचन्द

22 मुकेश पुत्र मूलचन्द

23 मंगली पत्नी मूलचन्द

समस्त जाति माली, निवासी जयपुरियो का बास, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।

जिला कलक्टर
जयपुर

24 संगीता सैनी पत्नी सुमेर सिंह सैनी जाति माली निवासी 33, 6–डी इंजिनियर्स कालोनी न्यू सांगानेर रोड जयपुर ।

25 अनिता पुत्री रामस्वरूप

26 अर्चना पुत्री रामस्वरूप

27 अर्जुन लाल पुत्र किशना

28 कन्हैया पुत्र रामस्वरूप

29 चन्दालाल दत्तक पुत्र झूंथाराम

30 तेजाराम पुत्र बालूराम

31 नन्छू पुत्र किशना

32 प्रेम पुत्री भैरू

33 प्रेम देवी पत्नी रामस्वरूप

34 भंवर लाल पुत्र. हनुमान

35 भीमाराम पुत्र हनुमान

36 मोहरू पुत्र नारायण

37 रेखा देवी पत्नी मंगलाराम

38 रूडी देवी पत्नी स्व॰ श्री हनुमान

39 रणजीत पुत्र भैरू

40 रूपा देवी पत्नी झूंथा

41 लाडा देवी पत्नी किशना

42 लाली पुत्री भैरू

43 श्रवण पुत्र भैरू

44 सुखा पुत्र भैरू

45 सुजाराम पुत्र नारायण

46 सुरज्ञान पुत्र नारायण

47 सारा पत्नी भैरू

48 सांवता पुत्र भैरू

49 सोनी पुत्री भैरू

50 हरिनारायण पुत्र हनुमान

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बीड हाथोज, तहसील कालवाड, जिला जयपुर

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, जयपुर ।

**तरतीबी अप्रार्थीगण**

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2023 ब उनवानी रियासत इन्फ्रा प्रा॰ लि॰ बनाम आनन्दा व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार गठाला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता 2 की ओर से ।

**निर्णय** **दिनांक 29.08.2024**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2023 ब उनवानी रियासत इन्फ्रा प्रा॰ लि॰ बनाम रियासत इन्फ्रा प्रा॰ लि॰ बनाम आनन्दा व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारान की तलबी भी नहीं हुई है। इसके बावजूद भी पत्रावली वास्ते बहस नियत कर दी गई है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जो कि एक कम्पनी है तथा उक्त कम्पनी के निदेशक/प्रतिनिधि जो काफी राजनैतिक पहुंच वाले व धनबल में अधिक है जो अपनी राजनैतिक पहुंच के आधार पर बिना सम्यक प्रकिया अपनाये ही उक्त प्रार्थना पत्र अधीन भूमि की अवैद्य तरीके से पतथरगढी करवाने पर आमदा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव व प्रलोभन में लेकर उक्त प्रार्थना पत्र अधीन भूमि का पत्थगढी आदेश पारित करवा कर अनावश्यक रूप से प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है जिसका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा गांव के लोगों को कहा जा रहा है कि हम भूमि की पत्थरगढी जल्द ही करवायेगें तथा हमारी अप्रार्थी संख्या 1से बातचीत हो गई है जल्द ही आदेश पारित हो जायेगे। अप्रार्थी के उक्त कथनों से प्रार्थी को स्पष्ट हो गया कि अप्रार्थी संख्या 1 जो कि अप्रार्थीगण के प्रभाव में है जिसके चलते बिना सम्यक प्रकिया अपनाये ही अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पक्षा में फैसला करने पर आमदा है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर